

साप्ताहिक करंट अफेयर्स

प्लूटस आई.ए.एस. साप्ताहिक करंट अफेयर्स

10/06/2024 से 16/06/2024 तक



The Indian **EXPRESS**



कार्यालय

बेसमेंट 8, अप्सरा आर्केड, करोल बाग मेट्रो स्टेशन गेट नंबर - 6,
नई दिल्ली 110005

706 प्रथम तल डॉ. मुखर्जी नगर बत्रा सिनेमा के पास
दिल्ली - 110009

मोबाइल नं. : +91 84484-40231

वेबसाइट : www.plutusias.com

ईमेल : info@plutusias.com



साप्ताहिक करंट अफेयर्स विषय सूची

1. भारत में विशेष राज्य की श्रेणी का मान्यता प्रदान करना बनाम
आंध्र प्रदेश राज्य का गठन 1
2. घरेलू उपभोग व्यय सर्वेक्षण 2022-23 का डेटा जारी 4
3. भारत में सैन्य कार्मिकों के रूप में अग्निपथ योजना : महत्व,
चुनौतियाँ और समाधान 6
4. प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण और शहरी) 9
5. ब्रिक्स का 15वाँ शिखर सम्मेलन और इसका विस्तार 12
6. जल (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) संशोधन विधेयक, 2024
और भारत में भूजल प्रदूषण 14



करंट अफेयर्स

जून 2024

भारत में विशेष राज्य की श्रेणी का मान्यता प्रदान करना बनाम आंध्र प्रदेश राज्य का गठन

(यह लेख यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा के मुख्य परीक्षा सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र - 2 के अंतर्गत ' भारतीय राजनीति और शासन व्यवस्था, भारतीय संविधान, संघवाद, केंद्र - राज्य संबंध, विभिन्न भाषाई आयोगों की प्रमुख सिफारिशें और राष्ट्र / देश की एकता तथा अखंडता पर इसका प्रभाव ' खंड से और प्रारंभिक परीक्षा के अंतर्गत ' धर आयोग, जे.वी.पी. समिति, फज़ल अली आयोग , राज्य पुनर्गठन अधिनियम, 1956, आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2014, विशेष श्रेणी का दर्जा (SCS), 14वाँ वित्त आयोग, अनुच्छेद 2, अनुच्छेद 3 ' खंड से संबंधित है। इसमें PLUTUS IAS टीम के सुझाव भी शामिल हैं। यह लेख ' दैनिक करंट अफेयर्स ' के अंतर्गत ' भारत में विशेष राज्य की श्रेणी का मान्यता प्रदान करना बनाम आंध्र प्रदेश राज्य का निर्माण ' खंड से संबंधित है।)

खबरों में क्यों ?



- हाल ही में भारत में आंध्र प्रदेश और तेलंगाना दो अलग-अलग स्वतंत्र राज्य बनने के उपलक्ष्य में आंध्र प्रदेश ने अपने विभाजन की 10वीं वर्षगांठ मनाई है।
- स्वतंत्र भारत में यह ऐतिहासिक और अत्यंत महत्वपूर्ण राजनीतिक बदलाव तेलुगु लोगों के राजनीतिक, आर्थिक और ऐतिहासिक परिदृश्य पर इसके व्यापक प्रभावों का पता लगाने का एक महत्वपूर्ण अवसर प्रदान करता है।
- इसी संदर्भ में, भारत में विशेष राज्य की श्रेणी का मान्यता प्रदान करने का मुद्दा भी चर्चा में है, क्योंकि बिहार और झारखण्ड के विभाजन के बाद बिहार को भी विशेष राज्य का मान्यता प्रदान करने के लिए केंद्र

सरकार पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहा है और बिहार को विशेष राज्य का मान्यता प्रदान करने के लिए मांग कर रहा है।

- भारत में किसी भी राज्य को विशेष राज्य का मान्यता मिलने से राज्यों को आर्थिक और प्रशासनिक सहायता मिलती है, जो उनके विकास में सहायक होती है।

भारत में किसी राज्य को विशेष श्रेणी के राज्य का मान्यता मिलना (SPECIAL CATEGORY STATUS- SCS) क्या होता है ?

- विशेष श्रेणी का राज्य (Special Category Status - SCS) एक ऐसा वर्गीकरण है जो केंद्र सरकार द्वारा कुछ राज्यों को उनकी भौगोलिक और सामाजिक-आर्थिक विषमताओं के आधार पर विकास में सहायता प्रदान करने के लिए दिया जाता है। यह योजना वर्ष 1969 में पाँचवें वित्त आयोग की सिफारिश पर शुरू की गई थी।
- SCS के तहत राज्यों को वित्तीय सहायता, संसाधनों का आवंटन और अन्य लाभों में प्राथमिकता दी जाती है। इस दर्जे के तहत राज्यों को केंद्र प्रायोजित योजनाओं के लिए %90 धनराशि केंद्र द्वारा प्रदान की जाती है।
- इसके अलावा, ये राज्य एक वित्तीय वर्ष से अगले वित्तीय वर्ष तक अप्रयुक्त निधियों को आगे बढ़ा सकते हैं और कर रियायतों का लाभ उठा सकते हैं।
- वर्तमान में भारत में 11 राज्य को विशेष श्रेणी का राज्य के रूप में मान्यता मिली हुई है, जिनमें अरुणाचल प्रदेश, असम, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, मणिपुर, मेघालय, मिज़ोरम, नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा तथा उत्तराखंड शामिल हैं।

भारत में किसी राज्य को विशेष श्रेणी का राज्य के रूप में मान्यता प्रदान करने वाले प्रमुख कारक :

भारत में किसी राज्य को विशेष श्रेणी का राज्य के रूप में मान्यता प्रदान करने वाले प्रमुख कारक निम्नलिखित हैं -

- पहाड़ी और दुर्गम इलाका।
- कम जनसंख्या घनत्व और/या जनजातीय आबादी का बड़ा हिस्सा।
- अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं के साथ रणनीतिक स्थान।
- आर्थिक और अवसंरचनात्मक पिछड़ापन।

- राज्य के वित्त की गैर-व्यवहार्य प्रकृति।

14वें वित्त आयोग ने पूर्वोत्तर और तीन पहाड़ी राज्यों को छोड़कर भारत के शेष राज्यों के लिए विशेष श्रेणी का दर्जा समाप्त कर दिया है।

भारत में नये राज्य के गठन के लिए प्रमुख संवैधानिक प्रावधान :

भारत में नये राज्य के गठन के लिए संवैधानिक प्रावधान निम्नलिखित हैं -

अनुच्छेद 2 : संसद विधि द्वारा ऐसे निबंधनों और शर्तों पर नये राज्यों को संघ में शामिल कर सकेगी या उनकी स्थापना कर सकेगी, जिन्हें वह ठीक समझे।

अनुच्छेद 3 : भारत में अनुच्छेद 3 के तहत नये राज्यों का गठन तथा विद्यमान राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं या नामों में परिवर्तन करना शामिल है।

1. किसी राज्य से क्षेत्र को अलग करके या दो या अधिक राज्यों या राज्यों के भागों को मिलाकर या किसी राज्य के किसी भाग में किसी अन्य राज्य के क्षेत्र को मिलाकर एक नया राज्य बनाना।
2. किसी राज्य का क्षेत्रफल बढ़ाना।
3. किसी राज्य का क्षेत्रफल कम करना।
4. किसी राज्य की सीमाएँ परिवर्तित करना।
5. किसी राज्य का नाम बदलना।

भारत में भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन के लिए विभिन्न आयोग :

भारत की केंद्र सरकार ने भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन के संबंध में जाँच करने और सिफारिशें देने के लिए समय-समय पर कई आयोगों की स्थापना की। **भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन से संबंधित कुछ आयोग निम्नलिखित हैं -**

धर आयोग (1948) :

- **उद्देश्य :** भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की व्यवहार्यता की जाँच करना।
- **परिणाम :** एस.के.धर की अध्यक्षता वाले धरआयोग ने केवल भाषा के आधार पर पुनर्गठन के विचार का समर्थन नहीं किया। इसने भाषाई एकरूपता की तुलना में प्रशासनिक दक्षता पर अधिक जोर दिया।

जे.वी.पी. समिति (1949-1948) :

- **सदस्य :** जवाहरलाल नेहरू, वल्लभभाई पटेल और पट्टाभि सीतारमैया।
- **उद्देश्य :** धर आयोग की सिफारिशों के बाद भाषाई राज्यों की मांगों का पुनर्मूल्यांकन करना।
- **परिणाम :** जे.वी.पी. समिति ने राज्यों के पुनर्गठन को पूरी तरह भाषाई आधार पर न करने की सिफारिश की तथा सुझाव दिया कि इस तरह के पुनर्गठन से प्रशासनिक कठिनाइयाँ और राष्ट्रीय विघटन हो सकता है।

फज़ल अली आयोग (राज्य पुनर्गठन आयोग) (1955-1953) :

- **सदस्य :** फज़ल अली (अध्यक्ष), के.एम. पणिककर, और एच.एन.

कुंजरू।

- **उद्देश्य :** भाषाई एवं अन्य आधारों पर राज्यों के पुनर्गठन के सम्पूर्ण प्रश्न की जाँच करना।
- **परिणाम :** इसने भाषाई आधार पर राज्यों के निर्माण की सिफारिश की, लेकिन राष्ट्रीय एकीकरण और प्रशासनिक सुविधा सुनिश्चित करने के लिये कुछ आरक्षणों के साथ। इसकी सिफारिशों के कारण भाषाई आधार पर कई राज्यों का गठन हुआ।

राज्य पुनर्गठन अधिनियम (1956) :

- यह फज़ल अली आयोग की सिफारिशों पर आधारित था।
- इस अधिनियम के कारण भारत भर में राज्य की सीमाओं का पुनर्गठन हुआ, जिससे देश के राजनीतिक मानचित्र में महत्वपूर्ण परिवर्तन आया।
- राज्य पुनर्गठन अधिनियम, 1956 के तहत हैदराबाद राज्य के तेलुगु भाषी क्षेत्रों को आंध्र राज्य में मिलाकर विस्तारित आंध्र प्रदेश का निर्माण किया गया।

भारत में भाषाई आधार पर राज्य पुनर्गठन आंदोलनों का ऐतिहासिक सफ़र :

- सन 1920 के दिसंबर महीने में भारतीय राष्ट्रीय कॉन्ग्रेस के नागपुर अधिवेशन में प्रांतीय कॉन्ग्रेस समितियों को भाषाई आधार पर पुनर्गठित करने का निर्णय लिया गया।
- भारतीय राष्ट्रीय कॉन्ग्रेस के इस कदम का मुख्य उद्देश्य विभिन्न भाषाई समूहों के हितों को बढ़ावा देना था। इससे भाषाई आधार पर भारत में राज्यों की मांग बढ़ने लगी।
- इस आंदोलन की जड़ें भाषाई पुनर्गठन आंदोलनों के दौरान देखी जा सकती हैं, जिसने भारत की स्वतंत्रता के बाद भारत में भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन की मांग अत्यंत तीव्र गति से होने लगी।
- तेलुगु भाषी व्यक्तियों के लिए एक अलग राज्य की मांग उनकी भाषाई और सांस्कृतिक पहचान को संरक्षित करने तथा उसको बढ़ावा देने की इच्छा से प्रेरित थी।

भारत में भाषाई आधार पर बनने वाले राज्य के लिए आंदोलन :

- भाषाई आधार पर राज्य के पुनर्गठन के लिए चलने वाले प्रमुख आंदोलनों में तेलुगु भाषी लोगों के लिए अलग आंध्र प्रदेश राज्य के निर्माण की मांग करने वाले सबसे महत्वपूर्ण व्यक्तियों में से एक पोटी श्रीरामुलु जो एक गांधीवादी और सामाजिक कार्यकर्ता थे, ने शुरू किया था।
- उन्होंने तेलुगु भाषी लोगों के लिए अलग आंध्र प्रदेश राज्य के निर्माण की मांग को लेकर 19 अक्टूबर, 1952 को भूख हड़ताल की।
- कुल 56 दिनों के उपवास के बाद उनकी मृत्यु ने इस आंदोलन को और अधिक तीव्र कर दिया और भारत सरकार को भाषाई पुनर्गठन पर पुनर्विचार करने के लिए मजबूर कर दिया था।

भारत में भाषाई आधार पर बनने वाला पहला राज्य आंध्र प्रदेश राज्य का गठन :



- पोद्दी श्रीरामुलु की मृत्यु के कारण हिंसक विरोध प्रदर्शन हुए और काफी जन आक्रोश उत्पन्न हुआ। कई समितियों की सिफारिशों के बाद भारत सरकार ने भाषाई आधार पर एक अलग राज्य बनाने का निर्णय लिया गया था।
- भारत का पहला भाषाई राज्य, जिसे आंध्र प्रदेश राज्य के रूप में जाना जाता है, उसका गठन मद्रास राज्य से तेलुगु भाषी क्षेत्रों को अलग करके बनाया गया था।
- अतः भारत में भाषाई आधार पर बनने वाला पहला आंध्र प्रदेश था।
- 2 जून, 2014 को आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2014 के माध्यम से आंध्र प्रदेश के उत्तर-पश्चिमी भाग को अलग कर 29वें राज्य तेलंगाना का निर्माण किया गया।
- आंध्र प्रदेश को विशेष श्रेणी का दर्जा (SCS) देने का मुद्दा वर्ष 2014 में राज्य के विभाजन के बाद से एक महत्वपूर्ण और विवादास्पद विषय रहा है।

आंध्र प्रदेश राज्य के बारे में विभिन्न परीक्षायोगी अतिरिक्त महत्वपूर्ण तथ्य :

- **राज्य की सीमा :** आंध्र प्रदेश राज्य की सीमा उत्तर में छत्तीसगढ़, उत्तर-पूर्व में ओडिशा, पश्चिम में तेलंगाना और कर्नाटक, दक्षिण में तमिलनाडु तथा पूर्व में बंगाल की खाड़ी से लगती है।
- **कला और संस्कृति :** आंध्र प्रदेश राज्य में थोलू बोम्मालता (कठपुतली शो), दप्पू (ताल नृत्य), वीरा नाट्यम (बहादुरों का नृत्य), तप्पेटा गुल्लू (वर्षा देवता का नृत्य), कोलट्टम, लंबाडी (खानाबदोशों का नृत्य), कुचिपुडी, भामा कलापम, यक्षगान, कलमकारी (वस्त्र कला) इत्यादि प्रमुख कला और संस्कृति की झलक देखने को मिलती है।
- **प्रमुख त्यौहार :** यहाँ का प्रमुख त्यौहार उगादि, पेद्दा पंडुगा, पोंगल आदि है।
- **प्रमुख जनजातियाँ :** आंध्र प्रदेश राज्य में मुख्य रूप से चेंचू, गदाबास, सवारा, कोंध, कोलम, पोरजा आदि जनजातियाँ निवास करती हैं।

आंध्र प्रदेश राज्य में प्रमुख वन्यजीव और पक्षी अभयारण्य :

- पुलिकट झील पक्षी अभयारण्य।
- नागार्जुनसागर-श्रीशैलम टाइगर रिजर्व।
- पापिकोंडा वन्यजीव अभयारण्य।
- कोरिंगा वन्यजीव अभयारण्य (मैंग्रोव वन)।
- कृष्णा वन्यजीव अभयारण्य।
- अटापका पक्षी अभयारण्य (कोलेरू झील)।

समस्या का समाधान :



भारत में किसी राज्य को विशेष श्रेणी का राज्य का दर्जा देने की समस्या का समाधान एक जटिल और बहुआयामी मुद्दा है। **भारत में केंद्र - राज्य संबंध के तहत इस समस्या का समाधान निम्नलिखित उपायों से किया जा सकता है -**

1. **स्पष्ट मापदंडों का निर्धारण :** विशेष श्रेणी राज्य का दर्जा देने के लिए स्पष्ट और पारदर्शी मापदंडों का निर्धारण किया जाना चाहिए। इसमें भौगोलिक कठिनाइयाँ, जनसंख्या घनत्व, जनजातीय आबादी, अंतरराष्ट्रीय सीमाओं से निकटता, और आर्थिक पिछड़ापन शामिल हो सकते हैं।
2. **संवैधानिक संशोधन :** विशेष श्रेणी राज्य का दर्जा देने के लिए संविधान में आवश्यक संशोधन किए जाने चाहिए ताकि यह दर्जा कानूनी रूप से मान्यता प्राप्त हो और इसके दुरुपयोग की संभावना कम हो।
3. **राज्यों के बीच संतुलन :** विशेष श्रेणी राज्य का दर्जा देने के लिए राज्यों के बीच संतुलन बनाए रखना आवश्यक है। इससे यह सुनिश्चित होगा कि किसी एक राज्य को अत्यधिक लाभ न मिले और अन्य राज्यों के साथ असमानता न हो।
4. **वित्तीय सहायता :** विशेष श्रेणी राज्य को वित्तीय सहायता देने के लिए एक स्थायी और पारदर्शी प्रणाली विकसित की जानी चाहिए। इससे यह सुनिश्चित होगा कि राज्यों को समय पर और पर्याप्त वित्तीय सहायता मिल सके।
5. **निगरानी और मूल्यांकन के लिए एक स्वतंत्र निकाय का गठन :** विशेष श्रेणी राज्य का दर्जा प्राप्त राज्यों की निगरानी और मूल्यांकन के लिए एक स्वतंत्र निकाय का गठन किया जाना चाहिए। यह निकाय राज्यों के विकास और प्रगति की नियमित समीक्षा करेगा और आवश्यकतानुसार सुधारात्मक कदम उठाएगा।

6. राजनीतिक इच्छाशक्ति और सहमति आवश्यक होना : विशेष श्रेणी राज्य का दर्जा देने के लिए राजनीतिक इच्छाशक्ति और सहमति आवश्यक है। केंद्र और राज्य सरकारों को मिलकर इस मुद्दे का समाधान निकालना होगा।

इन उपायों के माध्यम से भारत में किसी राज्य को विशेष श्रेणी राज्य का दर्जा देने की समस्या का समाधान किया जा सकता है और राज्यों के बीच संतुलित और समावेशी विकास सुनिश्चित किया जा सकता है।

स्रोत – द हिंदू एवं पीआईबी।

प्रारंभिक परीक्षा के लिए अभ्यास प्रश्न :

Q.1. भारत में भाषाई पहचान और सांस्कृतिक अस्मिता के आधार पर केंद्र और राज्य संबंध के तहत राज्य पुनर्गठन अधिनियम, 1956 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए।

1. भारत के उच्चतम न्यायालय द्वारा भारत में केंद्र – राज्य संबंधों के बीच होने वाले विवादों का निर्णय करने की शक्ति संविधान की मूल अधिकारिता के अंतर्गत आती है।
2. राज्य पुनर्गठन अधिनियम, 1956 फ़जल अली आयोग की सिफारिशों पर आधारित था।
3. एस.के.धर आयोग ने सन 1948 में केवल भाषा के आधार पर राज्य के पुनर्गठन के विचार का समर्थन नहीं किया। इसने भाषाई एकरूपता की तुलना में प्रशासनिक दक्षता पर अधिक ज़ोर दिया था।
4. भारत में भाषाई आधार पर बनने वाला पहला राज्य तेलंगाना है।

उपरोक्त कथन / कथनों में से कौन सा कथन सही है ?

- (a) केवल 1, 2 और 3
- (b) केवल 2, 3 और 4
- (c) केवल 1, 3 और 4
- (d) उपरोक्त सभी।

उत्तर – A

मुख्य परीक्षा के लिए अभ्यास प्रश्न :


Q.1. “ भारत में सांस्कृतिक अस्मिता, ऐतिहासिक विरासत और भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन और विशेष राज्य की श्रेणी में राज्यों की मांग हमेशा चलती रहती है।” इस कथन के आलोक में यह चर्चा कीजिए कि भारत में किसी भी राज्य को विशेष राज्य की श्रेणी में मान्यता देने में क्या चुनौतियाँ हैं एवं उन चुनौतियों से निपटने के लिए समाधानों के उपायों पर भी चर्चा कीजिए। (शब्द सीमा – 250 अंक 15-)

घरेलू उपभोग व्यय सर्वेक्षण 23-2022 का डेटा जारी

(यह लेख यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा के मुख्य परीक्षा सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र – 3 के अंतर्गत ‘ भारतीय अर्थव्यवस्था का वृद्धि एवं विकास, घरेलू उपभोग व्यय सर्वेक्षण ’ खंड से और प्रारंभिक परीक्षा के

अंतर्गत ‘ नीति आयोग, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, घरेलू उपभोग व्यय सर्वेक्षण, मासिक प्रति व्यक्ति उपभोक्ता व्यय, सकल – घरेलू उत्पाद, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय, सी. रंगराजन समिति ’ खंड से संबंधित है। इसमें PLUTUS IAS टीम के सुझाव भी शामिल हैं। यह लेख ‘ दैनिक करंट अफेयर्स ’ के अंतर्गत ‘ घरेलू उपभोग व्यय सर्वेक्षण 2022-23 का डेटा ’ से संबंधित है।)

खबरों में क्यों ?



- हाल ही में भारत के सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (MoSPI) द्वारा घरेलू उपभोग व्यय सर्वेक्षण (Household Consumption Expenditure Survey- HCES) 23-2022 की विस्तृत रिपोर्ट जारी की गई है।
- घरेलू उपभोग व्यय सर्वेक्षण के इस रिपोर्ट ने भारत के विभिन्न राज्यों के ग्रामीण और शहरी परिवारों की व्यय आदतों के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान की है।

घरेलू उपभोग व्यय सर्वेक्षण (HOUSEHOLD CONSUMPTION EXPENDITURE SURVEY- HCES) :

- भारत में घरेलू उपभोग व्यय सर्वेक्षण का आयोजन राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (National Statistical Office- NSO) द्वारा हर 5 वर्ष में किया जाता है।
- इसका मुख्य उद्देश्य भारत के विभिन्न राज्यों के घरों द्वारा वस्तुओं और सेवाओं के उपभोग के बारे में जानकारी एकत्र करना होता है।
- घरेलू उपभोग व्यय सर्वेक्षण में संकलित आँकड़ों का उपयोग सकल घरेलू उत्पाद (GDP), गरीबी दर, और उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (Consumer Price Index- CPI) जैसे विभिन्न महत्वपूर्ण आर्थिक संकेतकों को निर्धारित करने के लिए भी किया जाता है।
- वर्तमान में जारी यह रिपोर्ट औसत मासिक प्रति व्यक्ति उपभोक्ता व्यय (MPCE) की गणना 12-2011 के मूल्यों पर आधारित है।
- राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय द्वारा किए गए इस सर्वेक्षण में अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के कुछ दुर्गम गांवों / स्थानों को छोड़कर पूरे भारतीय संघ को शामिल किया गया है।
- सन 18-2017 में आयोजित अंतिम घरेलू उपभोग व्यय सर्वेक्षण के निष्कर्ष सरकार द्वारा “डेटा गुणवत्ता” के मुद्दों का हवाला देकर जारी नहीं किया गया था।

वर्तमान में जारी इस सर्वेक्षण रिपोर्ट से प्राप्त जानकारी :

- भारत के सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (MoSPI) द्वारा जारी यह सर्वेक्षण वस्तुओं (खाद्य और गैर-खाद्य वस्तुओं सहित) और सेवाओं पर सामान्य व्यय के बारे में जानकारी प्रदान करता है।
- इसके अतिरिक्त, यह घरेलू मासिक प्रति व्यक्ति उपभोक्ता व्यय (MPCE) के अनुमान की गणना करने और विभिन्न MPCE श्रेणियों में परिवारों और व्यक्तियों के वितरण का विश्लेषण करने में भी मदद करता है।

हाल ही में जारी घरेलू उपभोग व्यय सर्वेक्षण के मुख्य तथ्य :**हाल ही में जारी घरेलू उपभोग व्यय सर्वेक्षण की मुख्य बातें निम्नलिखित हैं -****भारत के विभिन्न राज्यों में खाद्य व्यय के संबंध में मुख्य प्राथमिकताएँ :**

1. **पेय पदार्थ, जलपान और प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थ :** हाल ही में जारी घरेलू उपभोग व्यय सर्वेक्षण रिपोर्ट के अनुसार इस श्रेणी के तहत भारत के कई राज्यों में खाद्य व्यय का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा रही है, विशेष रूप से तमिलनाडु राज्य में, जहाँ ग्रामीण (%28.4) और शहरी (%33.7) दोनों क्षेत्रों में सबसे अधिक व्यय प्रतिशत देखा गया है।
2. **दूध और दुग्ध उत्पादों को अधिक पसंद किया जाना :** घरेलू उपभोग व्यय सर्वेक्षण रिपोर्ट के अनुसार इस श्रेणी के तहत हरियाणा (ग्रामीण %41.7, शहरी %33.1) और राजस्थान (शहरी %33.2) जैसे भारत के उत्तरी राज्यों के ग्रामीण एवं शहरी परिवारों में प्रमुख रूप से दूध और दुग्ध उत्पाद अधिक पसंद किया जाता है।
3. **मांस, मछली और अंडा का अत्यधिक सेवन करना :** सर्वेक्षण रिपोर्ट के अनुसार भारत के केरल राज्य में परिवारों ने ग्रामीण (%23.5) और शहरी (%19.8) दोनों ही स्थितियों में इस श्रेणी या इस मद में सबसे अधिक व्यय किया है।

भारत में समग्र खाद्य बनाम गैर-खाद्य व्यय :

1. **खाद्य व्यय :** ग्रामीण भारत में खाद्य, कुल घरेलू उपभोग व्यय का लगभग %46 है, जबकि शहरी क्षेत्रों में यह लगभग %39 ही है।
2. **गैर-खाद्य व्यय :** भारत के विभिन्न राज्यों में गैर-खाद्य वस्तुओं पर उच्च व्यय की ओर एक महत्वपूर्ण बदलाव देखा गया है, जबकि गैर-खाद्य वस्तुओं पर ग्रामीण व्यय वर्ष 1999 के %40.6 से बढ़कर -2022 में %53.62 हो गया और इसी अवधि में शहरी व्यय %51.94 से बढ़कर %60.83 हो गया।

प्रमुख गैर-खाद्य व्यय श्रेणियाँ :

1. **परिवहन :** यह ग्रामीण और शहरी दोनों ही क्षेत्रों में गैर-खाद्य व्यय में शीर्ष स्थान पर रहा, केरल में इसका प्रतिशत सबसे अधिक रहा।
2. **चिकित्सा व्यय :** ग्रामीण क्षेत्रों में केरल, पश्चिम बंगाल और आंध्र प्रदेश तथा शहरी क्षेत्रों में पश्चिम बंगाल, केरल और पंजाब में यह विशेष रूप से अधिक है।
3. **टिकाऊ वस्तुएँ :** टिकाऊ वस्तुओं पर सबसे अधिक व्यय केरल के ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में देखा गया।
4. **ईंधन और प्रकाश :** पश्चिम बंगाल और ओडिशा ने क्रमशः ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में महत्वपूर्ण व्यय दर्शाया।

क्षेत्रीय विविधताएँ :

विभिन्न राज्यों ने विशिष्ट खाद्य और गैर-खाद्य वस्तुओं पर खर्च के लिये अलग-अलग प्राथमिकताएँ दिखाई, जो सांस्कृतिक और क्षेत्रीय आर्थिक अंतर को दर्शाती हैं।

उपभोग व्यय में वृद्धि :

1. सर्वेक्षण से पता चलता है कि पिछले दशक में उपभोग व्यय में पर्याप्त वृद्धि हुई है। वर्ष 12-2011 से 23-2022 तक ग्रामीण क्षेत्रों में प्रति व्यक्ति मासिक खपत में %164 की वृद्धि हुई, जबकि शहरी क्षेत्रों में प्रति व्यक्ति मासिक खपत में %146 की वृद्धि हुई।
2. भारत में शहरी क्षेत्र की तुलना में ग्रामीण क्षेत्रों में प्रति व्यक्ति मासिक खपत में अधिक वृद्धि देखी गई है।
3. शहरी और ग्रामीण MPCE के बीच अंतर में पिछले कुछ वर्षों में कमी देखी गई है, जो वर्ष 10-2009 के 90 प्रतिशत से घटकर 23-2022 में 75 प्रतिशत हो गया है।

राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय :

- **परिचय :** वर्ष 2019 में केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय (Central Statistical Office- CSO) और राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण कार्यालय (National Sample Survey Office- NSSO) को विलय करके राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय को गठित किया गया था।
- सी. रंगराजन समिति ने सबसे पहले सभी प्रमुख सांख्यिकीय गतिविधियों के लिये नोडल निकाय के रूप में NSO की स्थापना का सुझाव दिया था।
- यह वर्तमान में सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (Ministry of Statistics and Programme Implementation- MoSPI) के अंतर्गत कार्य करता है।
- **कार्य :** विश्वसनीय, वस्तुनिष्ठ एवं प्रासंगिक सांख्यिकीय डेटा एकत्र, संकलित और प्रसारित करता है।

समाधान / आगे की राह :



घरेलू उपभोग व्यय सर्वेक्षण 23-2022 के डेटा जारी होने के बाद, इसके परिणामों का विश्लेषण और समाधान की दिशा में आगे बढ़ने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए जा सकते हैं -

- विभिन्न सामाजिक-आर्थिक समूहों के उपभोग प्रणाली को समझने के लिए डेटा का विश्लेषण करना :** इस सर्वेक्षण के परिणामों का गहन विश्लेषण किया जाना चाहिए ताकि विभिन्न सामाजिक-आर्थिक समूहों के उपभोग प्रणाली को समझा जा सके। इससे नीति निर्माताओं को गरीबी, बेरोजगारी, और अन्य सामाजिक मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करने में मदद मिलेगी।
- नीति निर्माण और कार्यक्रमों को लागू करना :** हाल ही में जारी इस सर्वेक्षण के परिणामों के आधार पर, सरकार को नई नीतियों और कार्यक्रमों को लागू करना चाहिए जो गरीब और वंचित वर्गों के जीवन स्तर को सुधारने में सहायक हों। विशेष रूप से, ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में उपभोग व्यय के अंतर को कम करने के लिए कदम उठाए जाने चाहिए।
- सामाजिक कल्याण कार्यक्रम को पारदर्शी बनाना :** प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना जैसे विभिन्न सामाजिक कल्याण कार्यक्रमों के माध्यम से गरीब परिवारों को सहायता प्रदान की जानी चाहिए। सर्वेक्षण के परिणामों के आधार पर, इन कार्यक्रमों की प्रभावशीलता का मूल्यांकन किया जाना चाहिए और आवश्यकतानुसार सुधार किए जाने चाहिए।
- आर्थिक संकेतकों के आधार पर सुधारों को लागू करना :** सकल घरेलू उत्पाद (GDP) और उपभोक्ता मूल्य मुद्रास्फीति (CPI) जैसे व्यापक आर्थिक संकेतकों को ध्यान में रखते हुए, आर्थिक सुधारों को लागू किया जाना चाहिए। इससे देश की आर्थिक स्थिति को मजबूत करने में मदद मिलेगी।
- जन जागरूकता कार्यक्रम चलाना :** घरेलू उपभोग व्यय सर्वेक्षण 23-2022 का डेटा सर्वेक्षण के परिणामों के बारे में जनता को जागरूक किया जाना चाहिए ताकि वे अपने उपभोग पैटर्न को समझ सकें और अपने जीवन स्तर को सुधारने के लिए आवश्यक कदम उठा सकें।
- इन कदमों के माध्यम से, घरेलू उपभोग व्यय सर्वेक्षण 23-2022 के परिणामों का उपयोग करके समाज के विभिन्न वर्गों के जीवन स्तर को सुधारने की दिशा में महत्वपूर्ण प्रगति की जा सकती है।

स्रोत - द हिंदू एवं पीआईबी।

प्रारंभिक परीक्षा के लिए अभ्यास प्रश्न :

Q.1. भारत में कुछ राज्यों में आधिकारिक गरीबी रेखाएँ अन्य राज्यों की तुलना में उच्चतर होने का प्रमुख कारण क्या होता है ? (UPSC - 2019)

- भारत में सकल राज्य उत्पाद अलग-अलग राज्य में अलग-अलग होता है।
- भारत के विभिन्न राज्यों में सार्वजनिक वितरण की गुणता अलग-अलग राज्य में अलग-अलग होती है।
- भारत के विभिन्न राज्यों में गरीबी की दर अलग-अलग राज्य में अलग-अलग होती है।
- भारत के अलग-अलग राज्य में वस्तुओं का कीमत-स्तर अलग-अलग होता है।

उत्तर - D

मुख्य परीक्षा के लिए अभ्यास प्रश्न :

Q.1. भारत में घरेलू उपभोग व्यय सर्वेक्षण 2022 - 23 के प्रमुख निष्कर्षों को रेखांकित करते हुए यह चर्चा कीजिए कि घरेलू उपभोग व्यय सर्वेक्षण भारत में किस तरह आर्थिक योजना और विकास रणनीतियों को प्रभावित करता है और उन प्रभावों से निपटने के लिए समाधान के उपायों की भी चर्चा कीजिए। (शब्द सीमा - 250 अंक 15-)

भारत में सैन्य कार्मिकों के रूप में अग्निपथ योजना : महत्व, चुनौतियाँ और समाधान

(यह लेख यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा के मुख्य परीक्षा सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र - 2 के अंतर्गत ' शासन व्यवस्था, सरकारी नीतियाँ और हस्तक्षेप, अग्निपथ योजना का महत्व एवं आलोचनाएँ ' और सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र - 3 के अंतर्गत ' भारतीय अर्थव्यवस्था का विकास एवं वृद्धि ' खंड से और प्रारंभिक परीक्षा के अंतर्गत ' अग्निपथ योजना, सेवा निधि, तीनों सेवाएँ (सेना, नौसेना और वायु सेना), सशस्त्र सेना, युद्ध में ड्यूटी पर मृत्यु निधि ' खंड से संबंधित है। इसमें PLUTUS IAS टीम के सुझाव भी शामिल हैं। यह लेख ' दैनिक करंट अफेयर्स ' के अंतर्गत ' भारत में सैन्य कार्मिकों के रूप में अग्निपथ योजना : महत्व, चुनौतियाँ और समाधान ' से संबंधित है।

खबरों में क्यों ?



- हाल ही में विभिन्न राजनीतिक दलों और सशस्त्र बलों के जानकर, विशेषज्ञों और दिग्गजों के द्वारा सैन्य कार्मिकों के रूप में वर्ष 2022 के जून महीने में घोषित तत्कालीन सत्तारूढ़ पार्टी की महत्वाकांक्षी अग्निपथ योजना को विरोध का सामना करना पड़ रहा है।
- भारत में वर्तमान समय में चल रही सैन्य कार्मिकों के कल्याण और कैरियर की सुरक्षा से संबंधित इस विमर्श और विरोध का मुख्य उद्देश्य इस योजना के द्वारा सैन्य भर्ती और सैनिकों के कल्याण पर पड़ने वाले इसके प्रभाव की चिंताओं से जुड़ी हुई है।

भारतीय सेना में सैन्य कार्मिकों के लिए अग्निपथ योजना क्या है ?

अग्निपथ योजना
युवाओं के लिए सशस्त्र बलों से जुड़कर देश की सेवा करने का मौका

योग्यता: आवेदकों की आयु सीमा साढ़े 17 साल से 21 साल के बीच होनी चाहिए

चयन प्रक्रिया:

- उम्मीदवारों का नामांकन सेवा अधिनियम के तहत 4 साल के सेवाकाल के लिए होगा
- चयन प्रक्रिया में कोई बदलाव नहीं होगा
- मेरिट और 4 साल के सेवाकाल के दौरान किए प्रदर्शन के आधार पर केंद्रीयकृत और पारदर्शी मूल्यांकन
- 100% उम्मीदवार वालंटियर के तौर पर रेगुलर कान्डर के लिए आवेदन कर सकते हैं

- भारत में अग्निपथ योजना भारतीय सेना के तीनों अंगों (थलसेना, वायुसेना और नौसेना) में जवानों की भर्ती के लिए भारत सरकार द्वारा शुरू की गई एक नई योजना है।
- इस योजना के तहत भर्ती होने वाले जवानों को “अग्निवीर” कहा जाता है, जिसका अर्थ “अग्नि-योद्धा” होता है।
- यह योजना अधिकारी रैंक से नीचे के सैन्य कार्मिकों जैसे सैनिकों, वायुसैनिकों और नाविकों की भर्ती के लिए है, जो भारतीय सशस्त्र बलों में कमीशन प्राप्त अधिकारी नहीं हैं।
- अग्निवीरों को भारतीय सेना में मात्र 4 वर्ष की अवधि के लिए ही भर्ती किया जाता है।
- इस अवधि के बाद, इनमें से %25 तक अग्निवीरों को, योग्यता और संगठनात्मक आवश्यकताओं के अधीन, स्थायी कमीशन (अन्य 15 वर्ष) पर सेवाओं में शामिल किया जा सकता है।
- वर्तमान में भारतीय सेना में केवल चिकित्सा शाखा के तकनीकी संवर्ग को छोड़कर सभी नाविकों, वायुसैनिकों और सैनिकों को इस योजना के तहत सेवाओं में भर्ती किया जाता है।

अग्निपथ योजना के तहत अग्निवीरों की भर्ती के लिए पात्रता का मापदंड :

भारत में अग्निपथ योजना के तहत अग्निवीरों की भर्ती के लिए पात्रता का मापदंड निम्नलिखित है -

- अग्निपथ योजना के तहत अग्निवीरों की भर्ती के लिए 17.5 वर्ष से 23 वर्ष की आयु के अभ्यर्थी ही आवेदन करने के पात्र हैं (ऊपरी आयु सीमा 21 वर्ष से बढ़ा दी गई है)।

- अग्निपथ योजना के तहत निर्धारित आयु सीमा से कम आयु की लड़कियों को अग्निवीर के रूप में प्रवेश करने हेतु विकल्प खुला हुआ है, जबकि इसी योजना के तहत महिलाओं के लिए ऐसा कोई आरक्षण विकल्प नहीं होता है।

वेतन एवं लाभ :

- ड्यूटी पर मृत्यु :** भारत में अग्निपथ योजना के तहत अग्निवीरों की ड्यूटी पर मृत्यु हो जाने पर उसके परिवार को संयुक्त रूप से 1 करोड़ रुपए मिलते हैं, जिसमें सेवा निधि पैकेज और सैनिक का वेतन दोनों शामिल होता है।
- दिव्यांगता :** अग्निपथ योजना के तहत अग्निवीरों को ड्यूटी के दौरान चोट लगने या दिव्यांग होने पर दिव्यांगता की गंभीरता के आधार पर अग्निवीर को 44 लाख रुपए तक का मुआवजा मिल सकता है। यह राशि केवल तभी प्रदान की जाती है जब दिव्यांगता सैन्य सेवा के कारण हुई हो या युद्ध के दौरान कोई अंग खराब हो गई हो।
- पेंशन :** भारत में अग्निवीरों को पारंपरिक प्रणाली के सैनिकों या स्थायी सैनिकों के विपरीत 4 वर्ष की सेवा के बाद नियमित पेंशन नहीं मिलाने का प्रावधान है। अग्निपथ योजना के तहत अग्निवीरों को स्थायी कमीशन प्राप्त होने के लिए चयनित होने वाले केवल %25 अग्निवीर सैन्य कार्मिकों को ही पेंशन के लिए ही पात्र मन जाता है।

भारतीय सेना में अग्निपथ का मुख्य लक्ष्य :

- भारत में यह योजना सशस्त्र बलों को युवा बनाए रखने तथा सेना में स्थायी सैनिकों की संख्या में कमी लाने के लिए तैयार की गई है, जिससे भारत में रक्षा बलों पर सरकार के पेंशन मद में होने वाले व्यय राशि में उल्लेखनीय कमी आएगी।

भारत में रक्षा के क्षेत्र में अग्निपथ योजना शुरू करने का मुख्य कारण :

- अधिक स्वस्थ और युवा बल की भर्ती :** भारत सरकार का मानना है कि अग्निपथ में युवाओं की भर्तियों पर जोर देने का मुख्य कारण यह है कि भारतीय सेना इस योजना के तहत अधिक चुस्त लड़ाकू बल तैयार करेगा, जिससे भारतीय सेना को किसी भी बाह्य या आंतरिक चुनौती देने के क्रम में प्रतिक्रिया समय में तेजी आएगी और युद्ध के दौरान सशस्त्र बलों में बेहतर तालमेल बैठ पायेगा और वह वापस में अनुकूलन कर सकता है। वर्तमान में सशस्त्र बलों में औसत आयु 32 वर्ष है, जो अग्निपथ के कार्यान्वयन से घटकर 26 वर्ष हो जाएगी।
- पेंशन बिल को कम करना :** भारत के रक्षा के क्षेत्र में अग्निपथ योजना के तहत अग्निवीरों की भर्ती करने का मुख्य उद्देश्य लगातार देश के बढ़ते रक्षा पेंशन बिल के बोझ को कम करना भी है। रक्षा पर संसदीय स्थायी समिति की 2022 की रिपोर्ट में अनुमान लगाया गया है कि भारतीय सशस्त्र बलों का पेंशन बिल 2025 तक लगभग 2.5 लाख करोड़ रुपए तक पहुँच जाएगा। अग्निपथ, जिसमें अधिकांश भर्तियों के लिए सेवा की अवधि कम है, संभावित रूप से पेंशन बिल के रूप में होने वाले व्यय का प्रबंधन और कुशल संचालन करने में सहायता मिल सकती है।

- **तकनीकी एकीकरण** : भारत में अग्निपथ योजना का मुख्य उद्देश्य भारतीय सशस्त्र बलों में उभरती प्रौद्योगिकियों को बेहतर ढंग से एकीकृत करने के लिए युवा रंगरूटों की तकनीक-प्रियता का लाभ उठाना है।
- **नागरिक क्षेत्र के लिए कुशल कार्यबल का मिलना** : भारत सरकार का यह मानना है कि अग्निवीर के रूप में भारत के नौजवानों को जो अपनी सेवा के दौरान अर्जित मूल्यवान कौशल और अनुशासन के साथ – ही – साथ नागरिक क्षेत्र के लिए कुशल कार्यबल का मिलना संभव हो सकता है। इससे संभावित रूप से अधिक कुशल राष्ट्रीय कार्यबल और आर्थिक विकास में योगदान मिल सकता है।
- **रोज़गार के अधिक अवसर का सृजन होना** : भारत में अग्निपथ योजना का मुख्य उद्देश्य के तहत इससे रोज़गार के अवसर बढ़ेंगे और चार साल की सेवा के दौरान अर्जित कौशल एवं अनुभव के कारण ऐसे सैनिकों को विभिन्न क्षेत्रों में रोज़गार मिल सकेगा।

भारत में अग्निपथ योजना से जुड़े मुख्य मुद्दे क्या हैं ?

भारत में अग्निपथ योजना से जुड़े मुद्दे निम्नलिखित हैं –

1. **सेवानिवृत्ति लाभ का अभाव** : यह योजना 4 वर्ष की अवधि पूरी होने पर एक अग्निवीर को लगभग 11.71 लाख रुपए का एकमुश्त भुगतान प्रदान करती है, लेकिन निर्धारित कोई ग्रेच्युटी या पेंशन नहीं देती है। इससे नौकरी की सुरक्षा और पेंशन लाभ चाहने वाले अभ्यर्थियों में व्यापक असंतोष उत्पन्न हो सकता है।
2. **लघु सेवा अवधि** : 4 वर्ष का कार्यकाल अपर्याप्त माना जाता है, क्योंकि इसमें यह चिंता है कि अग्निपथ के तहत भर्ती होने वाले सैनिकों में स्थायी सैनिकों के समान प्रेरणा और प्रशिक्षण का अभाव हो सकता है। इसके अलावा, यह दीर्घावधि में सैनिकों को प्रशिक्षित करने और कुशल बनाने के लिये अपर्याप्त है, क्योंकि इससे सशस्त्र बलों में कौशल एवं अनुभव की कमी हो सकती है।
3. **आयु सीमा संबंधी मुद्दे** : 23 वर्ष की वर्तमान अधिकतम आयु सीमा ने कई युवाओं को इसके दायरे से बाहर कर दिया है, जो महामारी के दौरान भर्ती की कमी के कारण इसके लिये आवेदन नहीं कर सके।
4. **बेरोज़गारी संबंधी चिंताएँ** : सीमित स्थायी समावेशन (केवल %25) के कारण, इस योजना को देश में पहले से ही उच्च युवा बेरोज़गारी को और बढ़ाने वाला माना जा रहा है। यह स्थिति बढ़ती मुद्रास्फीति और असमानताओं जैसी व्यापक आर्थिक चुनौतियों के बीच उत्पन्न हुई है।
5. **राजनीतिक उद्देश्य** : भारत के रक्षा विशेषज्ञों का यह मानना है कि इस योजना को बिना परामर्श के जल्दबाजी में, संभवतः चुनावों से पहले एक राजनीतिक कदम के रूप में लागू किया गया। रक्षा बलों के समर्थन की कमी भी संदेह उत्पन्न करती है।
6. **पेंशन बिल में कमी** : इस योजना को सरकार द्वारा अपने बढ़ते रक्षा पेंशन व्यय को कम करने के एक तरीके के रूप में देखा जा रहा है, जिसमें दीर्घकालिक बल निर्माण की तुलना में वित्तीय बचत को प्राथमिकता दी जा रही है।

भारत के अलावा अन्य देशों में इसी प्रकार के कार्यक्रम का कैसा स्वरूप विद्यमान है?

भारत के अलावा अन्य देशों में भी इसी प्रकार के कार्यक्रम का स्वरूप

इस प्रकार है –

1. **स्वैच्छिक ड्यूटी दौरा** : सेना और सेवा शाखा की आवश्यकताओं के आधार पर, अमेरिका में स्वैच्छिक ड्यूटी दौरा 6 से 9 महीने से लेकर पूरे एक वर्ष तक चल सकता है।
2. **आवश्यक सैन्य सेवा (अनिवार्य सैन्य सेवा)** : भारत के अलावा इजरायल, नॉर्वे, उत्तर कोरिया, सिंगापुर और स्वीडन उन देशों में शामिल हैं जो इस पद्धति का उपयोग करते हैं।

भारत में अग्निपथ योजना में समाधान या आगे की राह :



आयु सीमा और स्थायी प्रतिधारण कोटा में वृद्धि करना :

- भारत में अग्निवीरों के लिए सेवा अवधि को 8-7 वर्ष तक और बढ़ाई जानी चाहिए।
- भारतीय सशस्त्र बलों में तकनीकी भूमिकाओं के लिए प्रवेश आयु को बढ़ाकर 23 वर्ष किया जाना चाहिए।
- भारत में अग्निपथ योजना के तहत अग्निवीरों के लिए नियमित सेवा प्रतिधारण दर को वर्तमान %25 से बढ़ाकर %70-60 तक किया जाना चाहिए।

अग्निवीरों को अन्य सुरक्षा बलों में सेवा के अवसर प्रदान करना और लाभ में वृद्धि करना :

- अग्निवीरों को अंशदायी पेंशन योजना, उदार ग्रेच्युटी और प्रशिक्षण के दौरान विकलांगता के लिए अनुग्रह राशि प्रदान की जानी चाहिए।
- उन्हें अन्य सुरक्षा बलों में सेवा के अवसर प्रदान किए जाने चाहिए।
- अग्निपथ योजना के तहत अग्निवीरों को अनुभवी सैन्य कर्मियों का दर्जा दिया जाना चाहिए तथा उन्हें सरकारी नौकरियों में प्राथमिकता दिया जाना चाहिए।
- भारत में अग्निपथ योजना के तहत अग्निवीरों को बनाए रखने के लिए पारदर्शी, योग्यता-आधारित प्रणाली को स्थापित किया जाना चाहिए।

मज़बूत कौशल और पुनर्वास कार्यक्रम लागू करना :

- भारत में अग्निपथ योजना के तहत अग्निवीरों के लिए नागरिक जीवन में सुचारू संक्रमण को सुविधाजनक बनाने के लिए निजी क्षेत्र और सरकारी एजेंसियों के सहयोग से एक व्यापक कौशल एवं पुनर्वास

कार्यक्रमों का विकास किया जाना चाहिए।

- कुछ ऐसे कानून भी बनाए जाने चाहिए जो निजी नियोक्ताओं और निगमों द्वारा अग्निवीरों को अनिवार्य रूप से अपने अधीन करने को अनिवार्य बनाएँ।

शैक्षणिक योग्यता को बढ़ाने की जरूरत :

- भारत में अग्निपथ योजना के तहत अग्निवीरों के लिए शैक्षणिक योग्यता को 10वीं से बढ़ाकर 2+10 किए जाने की जरूरत है।
- भारत में राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित की जाने वाली किसी भी प्रवेश परीक्षाओं को और अधिक कठिन बनाया जाना चाहिए।
- भारत में अग्निपथ योजना रक्षा नीति में एक बड़ा सुधार है जो सशस्त्र बलों के लिये भर्ती प्रक्रिया को परिवर्तित करता है। प्रारंभिक कार्यान्वयन से इस योजना के तहत भर्ती किये गए अग्निवीरों की प्रेरणा, बुद्धिमत्ता और शारीरिक मानकों में सकारात्मक संकेत मिलते हैं। सैन्य अभियानों में तकनीकी प्रगति की तुलना में मानवीय तत्त्व को अधिक महत्त्वपूर्ण माना जाता है, जो यूनिट के गौरव और सामंजस्य के साथ अग्निवीरों के चरित्र विकास एवं मनोवैज्ञानिक कल्याण की आवश्यकता पर प्रकाश डालता है।

स्रोत – इंडियन एक्सप्रेस एवं पीआईबी।

प्रारंभिक परीक्षा के लिए अभ्यास प्रश्न :

Q.1. भारत में केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बल निम्नलिखित में से किस केंद्रीय मंत्रालय के अधीन कार्य करता है? (UPSC – 2019)

1. भारत के सीमा सड़क संगठन मंत्रालय के अधीन।
2. भारत के रक्षा मंत्रालय के अधीन।
3. भारत के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के अधीन।
4. भारत के गृह मंत्रालय के अधीन।

उपरोक्त कथन / कथनों में से कौन सा कथन सही है ?

- A. केवल 1, 2 और 3
- B. केवल 2, 3 और 4
- C. केवल 1
- D. केवल 4

उत्तर – D

मुख्य परीक्षा के लिए अभ्यास प्रश्न :

Q.1. भारत सरकार द्वारा शुरू किया गया अग्निवीर योजना के महत्त्व को रेखांकित करते हुए यह चर्चा कीजिए कि सशस्त्र बलों में भर्ती के लिए शुरू किया गया अग्निवीर योजना की मुख्य बहुआयामी चुनौतियाँ क्या हैं और उन चुनौतियों के समाधानात्मक उपायों पर विस्तृत मत प्रस्तुत

कीजिए। (UPSC CSE – 2021 शब्द सीमा – 250 अंक – 15)

प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण और शहरी)

(यह लेख यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा के मुख्य परीक्षा सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र – 2 के अंतर्गत ' शासन व्यवस्था, सरकारी नीतियाँ और हस्तक्षेप, PMAY की चुनौतियाँ, PMAY को मजबूत करने के लिए आवश्यक कदम ' खंड से और प्रारंभिक परीक्षा के अंतर्गत ' प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण और शहरी), क्रेडिट लिंक्ड सव्बिडी, CAG, स्वच्छ भारत मिशन, मनरेगा, जल जीवन मिशन, उज्वला योजना, NA-BARD, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, आवास बंधु ' खंड से संबंधित है। इसमें PLUTUS IAS टीम के सुझाव भी शामिल हैं। यह लेख ' दैनिक करंट अफेयर्स ' के अंतर्गत ' प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण और शहरी) ' से संबंधित है।

खबरों में क्यों ?



- हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री ने लोकसभा चुनाव 2024 के बाद केंद्र में बने अपनी नई सरकार के तीसरे कार्यकाल की पहली कैबिनेट बैठक में ही प्रधानमंत्री आवास योजना (PMAY) के तहत तीन करोड़ ग्रामीण और शहरी घरों के निर्माण के लिए सहायता राशि प्रदान करने को मंजूरी दे दिया है।
- इन तीन करोड़ मकानों में से दो करोड़ मकान प्रधानमंत्री आवास योजना (PMAY-ग्रामीण) के तहत तथा एक करोड़ मकान प्रधानमंत्री आवास योजना (PMAY-शहरी) के तहत बनाए जाएंगे।

भारत में प्रधानमंत्री आवास योजना क्या है?

प्रधानमंत्री आवास योजना- ग्रामीण (PMAY- G) :



- **शुभारंभ** : 1 अप्रैल 2016 को, “सभी के लिए आवास” के उद्देश्य से इंदिरा आवास योजना (IAY) को ही पुनर्गठित करके और उस योजना का नाम बदलकर कर प्रधानमंत्री आवास योजना- ग्रामीण (PMAY-G) के रूप में इसे शुरू किया गया था।
- **कार्यान्वयनकर्ता मंत्रालय** : प्रधानमंत्री आवास योजना- ग्रामीण (PMAY-G) का कार्यान्वयनकर्ता मंत्रालय भारत का ग्रामीण विकास मंत्रालय है।
- **वर्तमान स्थिति** : मार्च 2023 तक 2.85 करोड़ घर स्वीकृत और 2.22 करोड़ घर पूरे किए जा चुके हैं।
- **योजना का मुख्य उद्देश्य** : मार्च 2022 तक सभी ग्रामीण बेघर परिवारों को पक्का घर उपलब्ध कराना था, जो अभी तक पूरा नहीं हो सका है। अतः भारत के प्रधानमंत्री ने अपने तीसरे कार्यकाल में इस योजना को पूरा करने का लक्ष्य रखा है।
- **लाभार्थी वर्ग** : अनुसूचित जाति/जनजाति, मुक्त बंधुआ मजदूर, युद्ध में मारे गए रक्षा कर्मियों की विधवाएँ, पूर्व सैनिक, विकलांग व्यक्ति और अल्पसंख्यक वर्ग के लोग।
- **लाभार्थियों का चयन का आधार** : इस योजना में लाभार्थियों का चयन सामाजिक-आर्थिक जाति जनगणना 2011, ग्राम सभा और जियो-टैगिंग के माध्यम से किया गया है।
- **लागत साझाकरण** : इस योजना के तहत भारत के मैदानी क्षेत्रों में केंद्र और राज्य 60:40, पूर्वोत्तर राज्यों और हिमालयी क्षेत्रों में 90:10, और केंद्रशासित प्रदेशों में केंद्र %100 लागत वहन करता है।

प्रधानमंत्री आवास योजना – शहरी (PMAY – U)



- **शुभारंभ** : प्रधानमंत्री आवास योजना- शहरी (PMAY-U) को 25 जून 2015 को प्रारंभ की गई थी। इस योजना का उद्देश्य वर्ष 2022 तक शहरी क्षेत्रों में सभी के लिए आवास उपलब्ध कराना था जो पूरा नहीं होने के कारण अभी भी इसको पूरा करने के लक्ष्य की दिशा में कार्यरत है।
- **कार्यान्वयनकर्ता मंत्रालय** : प्रधानमंत्री आवास योजना- शहरी (PMAY-U) योजना का कार्यान्वयनकर्ता मंत्रालय आवास एवं शहरी मामलों का मंत्रालय है।
- **वर्तमान स्थिति** : प्रधानमंत्री आवास योजना- शहरी (PMAY – U)

के आधिकारिक वेबसाइट के अनुसार, 118.64 लाख मकान स्वीकृत किए गए हैं, जिनमें से 83.67 लाख पूरे हो चुके हैं।

विशेषताएँ :

- पात्र शहरी गरीबों के लिये पक्का मकान सुनिश्चित करके झुग्गीवासियों सहित शहरी गरीबों के बीच शहरी आवास की कमी को दूर करना।
- मिशन में संपूर्ण शहरी क्षेत्र शामिल है, जिसमें सांविधिक कस्बे, अधिसूचित योजना क्षेत्र, विकास प्राधिकरण, विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण, औद्योगिक विकास प्राधिकरण या राज्य विधान के तहत कोई भी ऐसा प्राधिकरण शामिल है, जिसे शहरी नियोजन एवं विनियमन का कार्य सौंपा गया है।
- मिशन महिला सदस्यों के नाम पर या संयुक्त नाम पर मकान का स्वामित्व प्रदान करके महिला सशक्तीकरण को बढ़ावा देता है।

इस योजना को चार खंडों में पूरा करने का लक्ष्य :

- इस योजना के तहत निजी भागीदारी के माध्यम से संसाधन के रूप में भूमि का उपयोग करके मौजूदा झुग्गी निवासियों का यथास्थान पुनर्वास करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।
- **ऋण लिंकड सक्सेडी** : आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (Economically weaker Section- EWS), LIG और MIG-I एवं MIG-II के लोग घर खरीदने या बनाने के लिए क्रमशः 6 लाख रुपए, 9 लाख रुपए और 12 लाख रुपए तक के आवास ऋण पर %4, %6.5 तथा %3 की ब्याज सक्सेडी प्राप्त कर सकते हैं
- **साझेदारी में किफायती आवास (AHP)** : AHP के अंतर्गत, भारत सरकार द्वारा प्रति EWS आवास के लिये 1.5 लाख रुपए की केंद्रीय सहायता प्रदान की जाती है।
- **लाभार्थी-नेतृत्व वाले व्यक्तिगत आवास निर्माण/संवर्द्धन** : व्यक्तिगत आवास निर्माण/संवर्द्धन के लिए आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (Economically weaker Section- EWS) श्रेणियों से संबंधित पात्र परिवारों को प्रति EWS आवास 1.5 लाख रुपए तक की केंद्रीय सहायता प्रदान की जाती है।

भारत सरकार द्वारा आवास योजना के तहत शुरू किए गए अन्य नई पहलें :

- किफायती किराये के आवास परिसर (ARHC)
- PM-JANMAN
- GHTC इंडिया
- ANGIKAAR अभियान
- वैश्विक आवास प्रौद्योगिकी चुनौती।

प्रधानमंत्री आवास योजना की प्रमुख चुनौतियाँ :



प्रधानमंत्री आवास योजना की प्रमुख चुनौतियाँ निम्नलिखित हैं -

- **योजना के कार्यान्वयन में देरी** : मार्च 2022 तक PMAY-G के अंतर्गत 29.5 मिलियन और PMAY-U के अंतर्गत 12 मिलियन आवास इकाइयों के निर्माण का लक्ष्य था, जिसे बाद में दिसंबर 2024 तक बढ़ा दिया गया।
- **योजना का अनुचित रूप से निष्पादन** : प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत भारत के कुछ राज्यों द्वारा इस योजना के तहत आवंटित राशि को निर्गत करने में देरी के कारण इसकी प्रगति भी प्रभावित हुई है। 2020 में नौ राज्यों ने लाभार्थियों को 2,915.21 करोड़ रुपए का भुगतान में देरी की।
- **अपर्याप्त सब्सिडी राशि** : प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत भारत के कुछ ग्रामीण क्षेत्रों में 1.3/1.2 लाख की सब्सिडी राशि का भुगतान अपर्याप्त होता है, जिससे इन परिवारों को अतिरिक्त वित्त की आवश्यकता पड़ती है।
- **आवास की गुणवत्ता** : CAG रिपोर्ट के अनुसार, PMAY-G में आवास की गुणवत्ता में कमी और पर्यवेक्षण का अभाव है।
- **जन जागरूकता का अभाव** : प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत भारत के कुछ ग्रामीण क्षेत्रों में वहां की स्थायी ग्रामीण निवासियों में PMAY के प्रति जागरूकता की कमी और दस्तावेजीकरण में अति जटिलता है। जिससे इस योजना का सफल रूप से क्रियान्वयन नहीं हो सका है।
- प्रधानमंत्री आवास योजना (PMAY) के अंतर्गत आने वाले कुछ नीतिगत मुद्दे इस प्रकार हैं:
- **रसोईघर का उपयोग** : PMAY-G के तहत रसोईघर की व्यवस्था की गई है, परंतु कई लाभार्थी इस स्थान का उपयोग अतिरिक्त रहने के कमरे के रूप में करते हैं। इसका एक कारण यह हो सकता है कि लोग अभी भी बाहर खाना पकाने की परंपरागत प्रथा को जारी रखते हैं, जिससे PMUY (LPG Gas) का सीमित उपयोग होता है।
- **खाना पकाने का ईंधन** : PMAY-G लाभार्थियों द्वारा LPG सिलेंडर का उपयोग न करने के पीछे की वजह बाहर खाना पकाने की आदत

और रिफिल की उच्च लागत हो सकती है। इससे PMAY और PMUY कार्यक्रमों के बीच समन्वय में बाधा आती है।

- **शौचालय का उपयोग** : PMAY-G योजना के तहत बनाए गए शौचालयों में से %10 का उपयोग नहीं हो रहा है। इसके पीछे की वजह समुदाय की आदतें या खराब निर्माण हो सकती है, जिसकी गहन जांच की आवश्यकता है।
- **पेयजल की उपलब्धता** : राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (NRDWP) का लक्ष्य वर्ष 2022 तक अधिकांश ग्रामीण घरों में पाइप से जल उपलब्ध कराना था, लेकिन PMAY-G घरों में अभी भी साझा जल स्रोतों पर निर्भरता है और उचित अपशिष्ट प्रबंधन और जल निकासी की कमी है।
- **बैंक ऋण पहुंच में संभावित बाधा होना** : इस योजना के तहत बैंक ऋण की जानकारी होने के बावजूद, अधिकांश PMAY-G लाभार्थी अतिरिक्त गृह निर्माण लागत को पूरा करने के लिए निजी स्रोतों से ऋण लेते हैं, जो बैंक ऋण पहुंच में संभावित बाधाओं को दर्शाता है। इन मुद्दों को समझने और समाधान करने के लिए नीति निर्माताओं और कार्यक्रम प्रबंधकों को गहन अध्ययन और भारत के विभिन्न समुदायों के साथ संवाद करने की अत्यंत आवश्यकता है।

समाधान / आगे की राह :



प्रधानमंत्री आवास योजना (PMAY) को सशक्त बनाने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए जा सकते हैं -

- **समय पर धनराशि जारी करना** : प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत यह सुनिश्चित करना होगा कि राज्यों को समय पर धनराशि प्राप्त हो, ताकि योजना का क्रियान्वयन बिना किसी बाधा के हो सके। इसके लिए, मनरेगा की तरह प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (Direct Benefit Transfer - DBT) की प्रणाली को अपनाया जा सकता है।
- **आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए विशेष ऋण की सुविधा का विकास करना** : इस आवास योजना के तहत आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए विशेष ऋण उत्पादों का विकास करना, जिससे उन्हें आवास ऋण प्राप्त करने में सहायता मिल सके। इसके लिए सरकारी बैंकों और वित्तीय संस्थानों को प्रोत्साहित करना अत्यंत आवश्यक है।
- **अधिक समावेशी और आवास समस्याओं का समाधानात्मक उपाय विकसित करना** : प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत भूमिहीन ग्रामीण आबादी के लिए विशेष हस्तक्षेप तैयार करना, ताकि उनकी

आवास समस्याओं का समाधान हो सके।

- **निगरानी तंत्र को मजबूत करना** : प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत गुणवत्ता निगरानी तंत्र को मजबूत करना और सामाजिक अंकेक्षण जैसे उपायों को अपनाना आवश्यक है, ताकि इस योजना के तहत आवास निर्माण की गुणवत्ता सुनिश्चित हो सके।
- **आवास बंधु का उपयोग योजना के क्रियान्वयन में तेजी लाने के लिए करना** : भारत के प्रधानमंत्री की इस महत्वपूर्ण योजना के तहत 'आवास बंधु' जैसे स्थानीय प्रेरकों को प्रशिक्षित करना और उनका उपयोग योजना के क्रियान्वयन में तेजी लाने के लिए करना आवश्यक है।

इन कदमों को उठाकर प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण और शहरी) को और अधिक प्रभावी और समावेशी बनाया जा सकता है।

स्रोत – इंडियन एक्सप्रेस एवं पीआईबी।

प्रारंभिक परीक्षा के लिए अभ्यास प्रश्न :

Q.1. भारत में प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण और शहरी) के संदर्भ में गैर-वित्तीय ऋण में निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित है ? (UPSC – 2020)

1. क्रेडिट कार्डों पर बकाया राशि
2. परिवारों का बकाया गृह ऋण
3. राजकोषीय बिल
4. अपर्याप्त सब्सिडी राशि

उपरोक्त कथन / कथनों में से कौन सा कथन सही है ?

- A. केवल 1, 2 और 3
- B. केवल 2, 3 और 4
- C. इनमें से कोई नहीं।
- D. उपरोक्त सभी ।

उत्तर – D

मुख्य परीक्षा के लिए अभ्यास प्रश्न :

Q.1. प्रधानमंत्री आवास योजना के मुख्य उद्देश्यों को रेखांकित करते हुए यह चर्चा कीजिए कि भारत में तीव्र शहरीकरण के फलस्वरूप इस योजना के सफल क्रियान्वयन की राह में प्रमुख चुनौतियाँ क्या हैं और उसका समाधानात्मक उपाय क्या हो सकता है? तर्कसंगत मत प्रस्तुत कीजिए। (UPSC CSE- 2021) (शब्द सीमा – 250 अंक – 15)

ब्रिक्स का 15वाँ शिखर सम्मेलन और इसका विस्तार

(यह लेख यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा के मुख्य परीक्षा सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र – 2 के अंतर्गत ' अंतर्राष्ट्रीय संबंध, महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय संस्थान, ब्रिक्स में भारत की भूमिका, ब्रिक्स के विस्तार का प्रभाव,

क्षेत्रीय समूह, बहुपक्षीय संस्थानों का महत्त्व 'खंड से और यूपीएससी के प्रारंभिक परीक्षा के अंतर्गत ' ब्रिक्स, ब्रिक्स में नए सदस्य, भारत – चीन, भारत – रूस, भारत के हितों को प्रभावित करने वाले समूह और समझौता ' खंड से संबंधित है। इसमें PLUTUS IAS टीम के सुझाव भी शामिल हैं। यह लेख ' दैनिक करंट अफेयर्स ' के अंतर्गत ' ब्रिक्स का 15वाँ शिखर सम्मेलन और इसका विस्तार ' से संबंधित है।)

खबरों में क्यों ?

- हाल ही में दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में आयोजित 15वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में ब्रिक्स समूह ने एक महत्वपूर्ण विस्तार किया, जिसमें ब्राजील, रूस, भारत, चीन, और दक्षिण अफ्रीका ने छह नए देशों को ब्रिक्स में शामिल करने का निमंत्रण दिया।
- इन नए आमंत्रित देशों में पश्चिम एशिया से ईरान, सऊदी अरब, और संयुक्त अरब अमीरात (UAE), अफ्रीका से मिस्र और इथियोपिया और लैटिन अमेरिका से अर्जेंटीना शामिल हैं।
- ये देश आधिकारिक रूप से 1 जनवरी 2024 से ब्रिक्स में शामिल हो गए हैं।
- इस विस्तार के साथ, ब्रिक्स समूह ने अपनी वैश्विक पहुंच और प्रभाव को और व्यापक बनाया है। इस विस्तार को 'ब्रिक्स प्लस' के नाम से जाना जाता है और इसका उद्देश्य ब्रिक्स को एक खुले सहयोग मंच के रूप में मजबूत करना है।

ब्रिक्स (BRICS) :

- BRICS विश्व की पाँच प्रमुख उभरती हुई अर्थव्यवस्थाओं – ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका का एक क्षेत्रीय समूह है।
- इसकी स्थापना वर्ष 2001 में ब्रिटिश अर्थशास्त्री जिम ओ'नील द्वारा BRIC के रूप में की गई थी, जिसमें दक्षिण अफ्रीका को बाद में वर्ष 2010 में जोड़ा गया और इसे BRICS का नाम दिया गया।
- इस समूह का उद्देश्य विकासशील देशों के हितों को बढ़ावा देना और वैश्विक आर्थिक मंच पर उनकी आवाज़ को मजबूत करना है।
- यह समूह वैश्विक आबादी का लगभग %41, वैश्विक GDP का %24, और वैश्विक व्यापार का %16 प्रतिनिधित्व करता है।
- वर्ष 2023 में जोहान्सबर्ग घोषणा के अनुसार, अर्जेंटीना, मिस्र, इथियोपिया, ईरान, सऊदी अरब, और UAE को 1 जनवरी, 2024 से BRICS में पूर्ण सदस्य के रूप में शामिल किया गया।
- इस समूह की वार्षिक शिखर बैठकें विभिन्न सदस्य देशों द्वारा आयोजित की जाती हैं, जिसमें वर्ष 2023 की अध्यक्षता दक्षिण अफ्रीका ने की थी और अक्टूबर 2024 में होने वाली 16वीं शिखर बैठक की अध्यक्षता रूस करेगा।

BRICS का गठन और महत्त्व :

- BRICS समूह का गठन वर्ष 2006 में रूस के सेंट पीटर्सबर्ग में G8 (अब G7) आउटरीच शिखर सम्मेलन के दौरान ब्राजील, रूस, भारत, और चीन के प्रमुखों की अनौपचारिक बैठक से हुआ था।

- इसे बाद में वर्ष 2006 में न्यूयॉर्क में BRIC देशों के विदेश मंत्रियों की पहली बैठक में औपचारिकता प्रदान की गई।
- वर्ष 2009 में, रूस के येकातेरिनबर्ग में BRIC का पहला शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया था।
- वर्ष 2010 में, दक्षिण अफ्रीका के शामिल होने के बाद, समूह का नाम BRICS पड़ा।
- BRICS समूह के सदस्य देशों की जनसंख्या विश्व की कुल जनसंख्या का लगभग 3.5) %45 बिलियन लोग) है।
- इन देशों की सामूहिक अर्थव्यवस्था का मूल्य लगभग 28.5 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर है, जो वैश्विक अर्थव्यवस्था का लगभग %28 है।
- BRICS समूह के सदस्य देशों (ईरान, सऊदी अरब, और UAE) की वैश्विक कच्चे तेल उत्पादन में लगभग %44 की भागीदारी है।
- यह समूह विश्व के प्रमुख विकासशील देशों को एक साथ लाने के लिए बनाया गया था, ताकि उत्तरी अमेरिका और पश्चिमी यूरोप के धनी देशों की राजनीतिक और आर्थिक शक्ति को चुनौती दी जा सके।
- BRICS देशों ने एक औपचारिक अंतर-सरकारी संगठन के रूप में अपने आप को विकसित किया है, जो आर्थिक और भू-राजनीतिक एकीकरण और समन्वय को बढ़ावा देने का प्रयास करता है।

ब्रिक्स समूह में शामिल किए गए नए सदस्य देशों का भू – रणनीतिक महत्व :

ब्रिक्स समूह के नए सदस्यों का भू-रणनीतिक महत्व निम्नलिखित है –

- **ऊर्जा संसाधनों का महत्व :** सऊदी अरब और ईरान का ब्रिक्स में समावेश उनके विपुल ऊर्जा संसाधनों के कारण विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। सऊदी अरब, एक प्रमुख तेल उत्पादक देश होने के नाते, अपने तेल का एक बड़ा भाग चीन और भारत जैसे ब्रिक्स देशों को निर्यात करता है। वहीं, प्रतिबंधों के बावजूद ईरान ने अपने तेल उत्पादन और निर्यात को बढ़ाया है, जिसका एक बड़ा हिस्सा चीन को जाता है। यह ब्रिक्स सदस्यों के बीच ऊर्जा सहयोग और व्यापार के महत्व को उजागर करता है।
- **ऊर्जा आपूर्तिकर्ताओं का विविधीकरण :** रूस पहले से ही चीन और भारत के लिए तेल का एक प्रमुख आपूर्तिकर्ता है। नए सदस्यों के जुड़ने से रूस को अपने ऊर्जा निर्यात के लिए नए बाजार मिलेंगे, जिससे ब्रिक्स के भीतर ऊर्जा स्रोतों की विविधता और बढ़ेगी।
- **भू – रणनीतिक स्थिति :** मिस्र और इथियोपिया की 'हॉर्न ऑफ अफ्रीका' और लाल सागर में स्थिति उन्हें महत्वपूर्ण समुद्री व्यापार मार्गों के निकट लाती है, जिससे इन क्षेत्रों में ब्रिक्स का भू-राजनीतिक प्रभाव बढ़ता है।
- **लैटिन अमेरिकी आर्थिक प्रभाव :** अर्जेंटीना का ब्रिक्स में समावेश लैटिन अमेरिका में ब्रिक्स की उपस्थिति को मजबूत करता है, जो वैश्विक शक्तियों के लिए हमेशा से एक रुचिकर क्षेत्र रहा है। इससे ब्रिक्स समूह का आर्थिक प्रभाव भी बढ़ता है।

भारत की ब्रिक्स के साथ भागीदारी में मुख्य चुनौतियाँ :

भारत की ब्रिक्स के साथ भागीदारी में मुख्य चुनौतियाँ निम्नलिखित हैं –

1. **वैश्विक गठबंधनों में परिवर्तन :** ब्रिक्स के सदस्य देश अन्य राष्ट्रों के साथ संबंध बढ़ा सकते हैं, जिससे समूह की एकता और प्रभाव पर असर पड़ सकता है।
2. **बहुपक्षीय मंचों पर समन्वय :** वैश्विक संस्थाओं में सुधार के प्रति ब्रिक्स सदस्यों की विभिन्न प्राथमिकताएँ हैं।
3. **चीन के उदय की चुनौतियाँ :** भारत चीन के प्रभाव के कारण सीमा विवाद, समुद्री सुरक्षा, और व्यापारिक असंतुलन जैसी चुनौतियों का सामना कर रहा है।
4. **लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा :** भारत को पश्चिमी मानकों के अनुरूप बिना अपनी स्वायत्तता खोए नीतियाँ बनानी होंगी।
5. **ब्रिक्स गतिशीलता का संतुलन :** भारत को चीन और रूस के साथ संबंधों को संतुलित करना होगा।
6. **द्विपक्षीय मतभेदों का प्रबंधन :** भारत को चीन और पाकिस्तान के साथ अपने मतभेदों को सुलझाना होगा।
7. **रूस की विश्वसनीयता :** यूक्रेन संघर्ष में रूस की भूमिका ने भारत के लिए चिंताएँ उत्पन्न की हैं।
8. **सुरक्षा चिंताएँ :** आतंकवाद और साइबर खतरों जैसी सुरक्षा समस्याओं का समाधान आवश्यक है।
9. **व्यापार असंतुलन :** चीन के साथ व्यापार घाटे से भारत के आर्थिक हित प्रभावित हो रहे हैं।
10. **समानता के सिद्धांत :** ब्रिक्स के विस्तार से समानता के सिद्धांत पर प्रश्न उठते हैं।
11. **दीर्घस्थायी चुनौतियाँ :** विकासशील देशों के साथ सफलताओं को साझा करने में बाधाएँ हैं।

भारत के लिए BRICS का महत्व :

भारत अपने लाभ के लिए BRICS मंच का उपयोग निम्नलिखित प्रकार से कर सकता है –

- **वैश्विक शासन दर्शन को अपनाना :** वैश्विक चुनौतियों के समाधान हेतु समन्वित कार्रवाइयों की आवश्यकता है। भारत को अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली की सुरक्षा, सार्वभौमिक भागीदारी, नियमों का निर्माण, और साझा विकास परिणामों को सुनिश्चित करना चाहिए।
- **सार्वभौमिक सुरक्षा का समर्थन करना :** भारत को BRICS देशों के साथ सार्वभौमिक सुरक्षा में सक्रिय योगदान देना चाहिए, तनाव और जोखिम को कम करने के लिए प्रत्येक देश की सुरक्षा का सम्मान करना चाहिए।
- **समूह के भीतर सहयोग बढ़ाना :** भारत को BRICS के भीतर चीन के प्रभुत्व को कम करने और संतुलित आंतरिक गतिशीलता को बढ़ावा देने की दिशा में कार्य करना चाहिए।
- **आर्थिक योगदान सुनिश्चित करना :** BRICS देशों को साझा विकास

में सक्रिय रूप से योगदान देना चाहिए और आपूर्ति शृंखला, ऊर्जा, खाद्यान, और वित्तीय लचीलेपन में पारस्परिक रूप से लाभप्रद सहयोग बढ़ाना चाहिए।

- **सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रशासन को बढ़ाना** : भारत को BRICS देशों के साथ मिलकर विकासशील देशों के पक्ष में वैश्विक स्वास्थ्य प्रशासन को आगे बढ़ाना चाहिए और 'वन अर्थ, वन हेल्थ' दृष्टिकोण का समर्थन करना चाहिए।

समाधान / आगे की राह :

- भारत के लिए यह महत्वपूर्ण है कि वह ब्रिक्स समूहों के लिए द्विपक्षीय मुद्दों पर सहमति बनाई जाए, जिसके लिए उसे ब्रिक्स में शामिल देशों के साथ विशेष वार्ता की जरूरत है।
- भारत को अपने सभी आपसी मतभेदों को स्वीकार करते हुए, यह समझना जरूरी है कि बहुपक्षीय मंच अलग-अलग नियमों के अनुसार काम करते हैं।
- भारत के प्रधानमंत्री की BRICS शिखर सम्मेलन में की गई टिप्पणियों से प्रेरित होकर, BRICS के विस्तार से अन्य बहुपक्षीय संस्थाओं में सुधार की दिशा में काम करना चाहिए।
- विश्व की पाँचवीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था और सबसे अधिक आबादी वाले देश के रूप में, भारत संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद, WTO, WHO और अन्य में सुधार की आवश्यकता पर जोर देता है।
- भारत का मानना है कि BRICS का विस्तार 21वीं सदी के आवश्यक बदलावों के लिए एक मॉडल प्रदान करेगा, लेकिन इन सुधारों में विफलता प्राप्त होने पर इन संस्थानों को अप्रभावी बना सकती है। जिसका भारत के संदर्भ में समाधान की अत्यंत आवश्यकता है।
- इन कदमों के माध्यम से, भारत BRICS मंच का उपयोग कर वैश्विक शासन में अपनी स्थिति को मजबूत करने में कर सकता है और विकासशील देशों के हितों का समर्थन कर सकता है।
- ब्रिक्स के देशों को आपस में साझा दृष्टिकोण को अपनाकर इन बाधाओं का समाधान सर्वसम्मति से करना संभव है।

स्रोत - द हिन्दू एवं पीआईबी ।

प्रारंभिक परीक्षा के लिए अभ्यास प्रश्न :

Q.1. ब्रिक्स (BRICS) के रूप में ज्ञात देशों के समूह के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। (UPSC - 2019)

1. BRICS का पहला शिखर सम्मेलन वर्ष 2009 में रिओ डी जेनेरियो में हुआ था।
2. न्यू डेवलपमेंट बैंक की स्थापना APEC द्वारा की गई है।
3. न्यू डेवलपमेंट बैंक का मुख्यालय शंघाई में है।
4. दक्षिण अफ्रीका BRICS समूह में शामिल होने वाला अंतिम देश था।

उपर्युक्त कथन / कथनों में से कौन सा कथन सही है?

- A. केवल 1, 2 और 3
- B. केवल 2, 3 और 4
- C. केवल 1 और 4
- D. केवल 2 और 3

उत्तर - D

मुख्य परीक्षा के लिए अभ्यास प्रश्न :

Q.1. भारत के लिए एक क्षेत्रीय समूह के रूप में ब्रिक्स के महत्व को रेखांकित करते हुए यह चर्चा कीजिए कि वैश्विक स्तर पर बदलते भू - राजनैतिक संबंधों और आर्थिक महाशक्ति के रूप में उभरते दक्षिण एशियाई देशों के समूह के रूप में ब्रिक्स को लेकर भारत के समक्ष क्या चुनौतियाँ हैं और उन चुनौतियों से निपटने के लिए क्या समाधान हो सकता है ? तर्कसंगत मत प्रस्तुत कीजिए। (शब्द सीमा - 250 अंक - 15)

जल (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) संशोधन विधेयक, 2024 और भारत में भूजल प्रदूषण

(यह लेख यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा के मुख्य परीक्षा सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र - 2 के अंतर्गत ' जल (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) संशोधन विधेयक, 2024 के प्रमुख उपबंध, भूजल को दूषित करने के लिये जिम्मेदार प्राथमिक कारक, भूजल प्रदूषण के स्रोत सरकारी नीतियाँ और हस्तक्षेप ' खंड से और सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र - 3 के अंतर्गत ' पर्यावरण संरक्षण और पर्यावरण प्रदूषण, भारत में सिंचाई प्रणाली , वैधानिक निकाय ' खंड से तथा प्रारंभिक परीक्षा के अंतर्गत ' जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, वायु (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1981, राष्ट्रीय हरित अधिकरण, केंद्रीय भूजल प्राधिकरण, ब्लैक फुट रोग, ब्लू बेबी सिंड्रोम, इटाई इटाई रोग, अटल भूजल योजना, जल शक्ति अभियान, जलभृत मानचित्रण एवं प्रबंधन कार्यक्रम, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना ' से संबंधित है। इसमें PLUTUS IAS टीम के सुझाव भी शामिल हैं। यह लेख ' दैनिक करंट अफेयर्स ' के अंतर्गत ' जल (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) संशोधन विधेयक, 2024 और भारत में भूजल प्रदूषण ' से संबंधित है।)

खबरों में क्यों ?

- राष्ट्रीय हरित अधिकरण ने हाल ही में पूरे भारत में भूजल में जहरीले आर्सेनिक एवं फ्लोराइड के व्यापक मुद्दे पर केंद्रीय भूजल प्राधिकरण (CGWA) की प्रतिक्रिया पर असंतोष व्यक्त किया है, क्योंकि भारत के 25 राज्यों के 230 जिले आर्सेनिक से, और 27 राज्यों के 469 जिले फ्लोराइड से प्रभावित हैं।
- इसी बीच भारतीय संसद के दोनों सदनों द्वारा हाल ही में जल (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) संशोधन विधेयक, 2024 को मंजूरी भी दे दी गई है।

जल (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) संशोधन विधेयक, 2024 के

प्रमुख उपबंध क्या हैं ?**जल (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) संशोधन विधेयक, 2024 के प्रमुख प्रावधान इस प्रकार हैं -**

- छोटे अपराधों का गैर-अपराधीकरण करना :** यह प्रावधान तकनीकी या प्रक्रियात्मक खामियों के लिए कारावास की संभावना को समाप्त करता है, जिससे जल प्रदूषण से संबंधित मामूली अपराधों को गैर-अपराधीकृत किया जा सके।
- विशेष औद्योगिक संयंत्रों के लिए छूट प्रदान करना :** जल (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) संशोधन विधेयक, 2024 के प्रमुख प्रावधान के तहत केंद्र सरकार को कुछ विशेष प्रकार के औद्योगिक संयंत्रों के लिए, बिट्टी केंद्रों और निर्वहन से संबंधित, धारा 25 में सूचीबद्ध कुछ प्रतिबंधों से छूट प्रदान करने का अनुमति देता है।
- नियामक प्रक्रियाओं में सुधार :** भारतीय संसद द्वारा संशोधित विधेयक में प्रस्तावित सुधारों में, प्रक्रियाओं को सुस्थिर करना, मॉनीटरिंग प्रक्रिया में दोहराव को कम करना और नियामक संस्थाओं पर कम निर्भरता करने को सुनिश्चित करना शामिल है।
- नियामक निरीक्षण में सुधार :** भारत के संसद द्वारा किए गए इस प्रमुख संशोधन में यह सुनिश्चित करना है कि केंद्र सरकार, राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों के अध्यक्षों की निष्पक्षता, प्रक्रिया, निरीक्षण और मानकीकरण में सुधार के उपाय, जिसमें केंद्र सरकार उद्योगों से संबंधित नियुक्तियों और सहमति प्रक्रियाओं के लिए दिशा-निर्देश निर्धारित करेगी। इन संशोधनों का उद्देश्य जल संसाधनों के सतत प्रबंधन को सुनिश्चित करते हुए विनियामक दृष्टिकोण को आधुनिक बनाना है।
- नियामक प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करना :** यह केंद्र सरकार को राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों के अध्यक्षों के नामांकन के लिए दिशा-निर्देश निर्धारित करने और उद्योग से संबंधित सहमति देने, इनकार करने या रद्द करने के निर्देश जारी करने का अधिकार देता है।

जल (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) संशोधन विधेयक, 2024 के विपक्ष में दिए जाने वाला तर्क :

- जल (प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण) अधिनियम, 1974 का उद्देश्य पानी की संपूर्णता को संरक्षित करना और प्रदूषण को नियंत्रित करना था।
- इसके तहत, केंद्रीय और राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों की स्थापना की गई है, जो पर्यावरण मंत्रालय (MoEFCC) के साथ मिलकर काम करते हैं। 1978 और 1988 में संशोधनों के माध्यम से, इन बोर्डों को अधिक शक्तियाँ प्रदान की गई थी।
- इस संशोधित विधेयक के प्रमुख दायित्वों में, अब प्रत्येक उद्योग और स्थानीय निकाय को प्रदूषकों के प्रवाह से पहले राज्य बोर्ड से सहमति प्राप्त करनी होती है।
- राज्य बोर्ड विशिष्ट शर्तों और वैधता तिथियों के साथ सहमति दे सकता है या लिखित में कारण बताते हुए सहमति देने से इनकार कर सकता है। इसी तरह के प्रावधान अधिनियम लागू होने से पहले व्यापार/प्रवाह अपशिष्ट का निर्वहन करने वाले उद्योगों पर भी लागू होते हैं।
- इस संशोधन के समीक्षा करने पर कुछ आलोचकों का मानना है कि

इस संशोधन से भारत के संघीय सिद्धांतों के प्रति समस्या हो सकती है, प्रदूषण प्रबंधन में पारदर्शिता में कमी हो सकती है, और उद्योगों/नियामकों की जिम्मेदारी में समस्या हो सकती है।

केंद्रीय भूजल प्राधिकरण :

केंद्रीय भूजल प्राधिकरण का निर्माण भारत में भूजल संसाधनों के संरक्षण, नियंत्रण और प्रबंधन को सुनिश्चित करने के लिए पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के अंतर्गत किया गया है।

मुख्य कार्य :

- भूजल के समुचित विनियमन, प्रबंधन, और विकास को प्रोत्साहित करना।
- इसी प्रक्रिया में सहायक नियमों और मार्गदर्शन को प्रकाशित करना।
- पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के माध्यम से अधिकारी नियुक्ति में सहायता प्रदान करना।

भारत में भूजल प्रदूषण के मुख्य स्रोत :**भारत में भूजल प्रदूषण के मुख्य स्रोत निम्नलिखित हैं -**

- प्राकृतिक प्रदूषक :** भारत में आर्सेनिक, प्लोराइड, और लौह की उपस्थिति के कारण पश्चिम बंगाल और असम भूजल प्रदूषण से सबसे अधिक प्रभावित हैं।
- कृषि :** भारत में कृषि क्षेत्र में प्रयुक्त होने वाला उर्वरक, कीटनाशक और हर्बिसाइड का अत्यधिक प्रयोग, जो हानिकारक रसायनों को जल में मिला देता है, भारत में भूजल प्रदूषण का मुख्य स्रोत है।
- औद्योगिक कचरा :** भारत में भूजल प्रदूषण के मुख्य स्रोत के रूप में अनुपचारित औद्योगिक कचरे से होने वाला प्रदूषण, जो भूमि में मिलकर भारी धातु और विषैले पदार्थों को मिला देता है।
- नगरीकरण :** सीवेज सिस्टम की लीकेज और अनुपयुक्त कूड़ा प्रबंधन से होने वाला प्रदूषण।
- ताजा पानी का समुंद्री पानी से मिश्रीकरण :** भारत में भूजल प्रदूषण के मुख्य स्रोत के रूप में खासकर समुंद्री क्षेत्रों में, जमीन से पानी के ज़्यादा पंपिंग से होने वाला मिश्रीकरण, जो पीने के पानी को खराब करता है।
- लवणता :** भारत में भूजल प्रदूषण के मुख्य स्रोत के रूप में खारा जल: तटीय क्षेत्रों में, भूजल के अत्यधिक पंपिंग से समुद्र का खारा जल मीठे जल के जलभृतों में घुस सकता है, जिससे जल पीने या सिंचाई के लिये अनुपयोगी हो जाता है।
- राजस्थान में (लवणता) प्रदूषण से प्रभावित ग्रामीण बस्तियों की संख्या सर्वाधिक है।

भूजल को दूषित करने के लिए उत्तरदायी अभिकर्ता :

भूजल को दूषित करने के लिए उत्तरदायी प्राथमिक अभिकर्ता निम्नलिखित हैं -

- **आर्सेनिक** : यह प्राकृतिक रूप से पाया जाता है, लेकिन इसके साथ ही यह कृषि, खनन और विनिर्माण में उपयोग होने वाले मानव निर्मित रूपों में भी मौजूद होता है। औद्योगिक और खनन निर्वहन के साथ-साथ थर्मल पावर प्लांटों में फ्लाइंग ऐश तालाबों से रिसाव के कारण आर्सेनिक भूजल में मिल सकता है। आर्सेनिक के निरंतर संपर्क से ब्लैक फूट रोग होने की संभावना होती है।
- **फ्लोराइड** : भारत में, उच्च फ्लोराइड सामग्री वाले जल की खपत के कारण फ्लोरोसिस एक प्रचलित समस्या है। अत्यधिक फ्लोराइड के सेवन से न्यूरोमस्क्युलर विकार, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल समस्याएँ, दंत विकृति और कंकाल फ्लोरोसिस हो सकता है, जिसकी विशेषता अत्यधिक दर्द और जोड़ों का कठोर होना है। घुटनों के पैरों से बाहर की ओर झुकने के कारण नॉक-नी सिंड्रोम भी हो सकता है।
- **नाइट्रेट** : पीने के जल में अत्यधिक नाइट्रेट का स्तर हीमोग्लोबिन के साथ प्रतिक्रिया करता है, जिससे गैर-कार्यात्मक मीथेमोग्लोबिन का निर्माण होता है और ऑक्सीजन परिवहन में बाधा उत्पन्न होती है, जिससे मीथेमोग्लोबिनेमिया या ब्लू बेबी सिंड्रोम हो सकता है। उच्च नाइट्रेट स्तर कार्सिनोजेन्स के निर्माण में योगदान दे सकता है और सुपोषणीकरण को तेज कर सकता है।
- **यूरेनियम** : भारत में, लंबे भौतिक अर्द्ध जीवन के साथ कमजोर रेडियोधर्मी यूरेनियम, स्थानीय क्षेत्रों में WHO के दिशा-निर्देशों से ऊपर की सांद्रता में पाया जाता है। राजस्थान और उत्तर-पश्चिमी राज्यों में यह मुख्य रूप से जलोढ़ जलाभृतों में मौजूद है, जबकि तेलंगाना जैसे दक्षिणी राज्यों में यह ग्रेनाइट जैसी क्रिस्टलीय चट्टानों से उत्पन्न होता है। पीने के जल में यूरेनियम का उच्च स्तर किडनी विषाक्तता का कारण बन सकता है।
- **रेडॉन** : हाल ही में बेंगलुरु के कुछ क्षेत्रों में पीने के लिए उपयोग किए जाने वाले भूजल में रेडियोधर्मी रेडॉन का स्तर काफी अधिक पाया गया है। रेडॉन की उत्पत्ति रेडियोधर्मी ग्रेनाइट और यूरेनियम से होती है, जो क्षय होकर रेडियम तथा रेडॉन में परिवर्तित हो जाता है। वायु और जल में रेडॉन की उपस्थिति फेफड़ों के ऊतकों को नुकसान पहुँचा सकती है, जिससे फेफड़ों के कैंसर का खतरा बढ़ जाता है।
- **अन्य ट्रेस धातुएँ** : जल में सीसा, पारा, कैडमियम, ताँबा, क्रोमियम और निकल जैसी ट्रेस धातुओं की उपस्थिति भी हो सकती है, जिनमें कैंसरकारी गुण होते हैं। कैडमियम से दूषित जल से इटाई इटाई रोग (आउच-आउच रोग) की संभावना होती है। पारा से दूषित जल मनुष्यों में मिनामाटा (न्यूरोलॉजिकल सिंड्रोम) का कारण बनता है।

भूजल प्रबंधन से संबंधित वर्तमान सरकारी पहल :

भूजल प्रबंधन से संबंधित वर्तमान सरकारी पहलें निम्नलिखित हैं -

- **अटल भूजल योजना** : भूजल संरक्षण और इसके टिकाऊ प्रबंधन के लिए केंद्रित एक योजना है।
- **जल शक्ति अभियान** : यह भारत में जल संरक्षण और जल सुरक्षा को बढ़ावा देने वाली एक पहल है।
- **जलभृत मानचित्रण एवं प्रबंधन कार्यक्रम** : यह जलभृतों का

मानचित्रण और उनके प्रबंधन की दिशा में उठाया गया कदम है।

- **पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986** : यह भारत में पर्यावरण संरक्षण के लिए लागू किया गया व्यापक अधिनियम है।
- **प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना** : यह भारत सरकार द्वारा शुरू की गई सिंचाई की सुविधा और जल संसाधनों का प्रभावी उपयोग सुनिश्चित करने की एक महत्वपूर्ण योजना है।
- **जल (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) संशोधन विधेयक, 2024** : यह भारत सरकार द्वारा जल प्रदूषण को रोकने और उसे नियंत्रित करने के लिए प्रस्तावित एक विधेयक है।
- **राष्ट्रीय हरित अधिकरण** : यह भारत में पर्यावरणीय विवादों का निपटारा करने वाला एक न्यायाधिकरण है।
- **केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड** : यह भारत में जल प्रदूषण की निगरानी और नियंत्रण के लिए केंद्रीय निकाय के रूप में कार्य करता है।

इस प्रकार की सभी पहलें भारत में भूजल प्रबंधन और जल संरक्षण को सुधारने के लिए सरकार द्वारा उठाये गए महत्वपूर्ण कदम हैं।

समाधान / आगे की राह :

- **भूजल विनियमन को सुदृढ़ करना** : औद्योगिक अपशिष्ट निपटान और कृषि पद्धतियों के लिए कड़े नियम लागू करना, जिससे भूजल की गुणवत्ता सुनिश्चित हो सके।
- **परमिट प्रणाली लागू करना** : जलभृत पुनर्भरण दरों के आधार पर कोटा के साथ भूजल निष्कर्षण के लिए एक परमिट प्रणाली लागू करना, ताकि भूजल का संतुलित उपयोग हो सके।
- **सतत कृषि को बढ़ावा देना** : किसानों को परिशुद्ध कृषि तकनीकों, उर्वरकों के सावधानीपूर्वक उपयोग और ड्रिप सिंचाई जैसी कुशल सिंचाई प्रथाओं को अपनाने के लिए सहायिकी तथा प्रशिक्षण प्रदान करना और सतत कृषि को बढ़ावा दिया जाना चाहिए।
- **बुनियादी ढाँचे में निवेश करना** : भारत में भूजल प्रदूषण से निपटने के लिए अनुपचारित अपवाहित मल द्वारा भूजल को प्रदूषित करने से रोकने के लिए अपशिष्ट जल उपचार संयंत्रों के निर्माण और रखरखाव में निवेश करना।
- **जल प्रबंधन मॉडल को बढ़ावा देकर विकेंद्रीकृत प्रबंधन स्वरूप को अपनाना** : सहभागी जल प्रबंधन मॉडल को बढ़ावा देकर स्थानीय समुदायों को सशक्त बनाना। इसमें जल उपयोगकर्ता संघ (WUA) बनाना शामिल है जो स्थानीय क्षेत्रों में भूजल निष्कर्षण की योजना, निगरानी और विनियमन में सक्रिय भूमिका निभा सकते हैं।
- **वर्षा जल संचयन और ब्लू क्रेडिट को प्रोत्साहित करना** : वर्षा जल संचयन, ग्रेवाटर रीसाइक्लिंग और घरेलू तथा औद्योगिक क्षेत्रों में जल संचय से संबंधित प्रौद्योगिकियों को अपनाने के लिए ब्लू क्रेडिट जैसे वित्तीय प्रोत्साहन की पेशकश करना जरूरी है।
- **कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) का उपयोग करके डेटा का विश्लेषण करना** : AI के माध्यम से जल की गुणवत्ता, उपयोग प्रतिरूप और

जलभृत विशेषताओं से संबंधित व्यापक डेटा का विश्लेषण करना होगा। इससे संदूषण जोखिमों का पूर्वानुमान करने और लक्षित मध्यवर्तन कार्यान्वित करने में मदद मिल सकती है।

स्रोत – द हिन्दू एवं इंडियन एक्सप्रेस।

प्रारंभिक परीक्षा के लिए अभ्यास प्रश्न :

Q.1. भारत में विभिन्न राज्यों में पीने के जल में प्रदूषक के रूप में निम्नलिखित में से क्या पाए जा सकते हैं? (UPSC – 2019)

1. यूरेनियम
2. आर्सेनिक
3. सॉर्बिटोल
4. फ्लोराइड
5. फॉर्मैल्डिहाइड

नीचे दिये गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चुनाव कीजिए।

- A. केवल 1, 2, 3 और 4
- B. केवल 2, 3, 4 और 5
- C. केवल 1, 3, 4 और 5
- D. केवल 1, 2 और 4

उत्तर – D

मुख्य परीक्षा के लिए अभ्यास प्रश्न :

Q. 1. “ वर्तमान समय में विश्व के सभी सभ्यताओं के मानवीय दुखों का मुख्य कारण भूमि एवं जल संसाधनों के अप्रभावी और कुप्रबंधन का परिणाम है। ” इस कथन के संदर्भ में भारत सरकार द्वारा जल संरक्षण और कुशल जल प्रबंधन हेतु आरंभ की गई जल शक्ति अभियान की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए और भारत में जल भंडारण और सिंचाई प्रणाली में सुधार के उपायों का समाधान प्रस्तुत कीजिए। (UPSC – 2021, शब्द सीमा – 250 अंक – 15)